WWW.APMA.BIZ

ESTD. 1965

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/131 दिनांक : 20 जुलाई, 2017

''अनिवार्य आवश्यकताएं ''

01. कृपया अपना जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र *फ्रेमयुक्त/लम्मिनेटेड* प्राप्त करें और उसे अपनी दुकान/ऑफिस/गोदाम और व्यापार के हर जगह पर प्रदर्शित करें जिसे आपने जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित किया है।

02. कृपया अपनी दुकान/ऑफिस/गोदाम के *साइन बोर्ड* पर जीएसटी पंजीकरण नंबर भी छापे और जीएसटी पंजीकरण में उल्लेख किया गया है।

03. जीएसटी के तहत रचना के व्यापारियों(Composition Dealers) को दुकान/ऑफिस/गोदाम और हर अतिरिक्त जगह और उनके साइन बोर्ड पर शब्दसंगत शब्द ''रचना कर योग्य व्यक्ति''(Composition Taxable Persons) * प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है।

04. जीएसटी के तहत रचना के डीलरों (Composition Dealers) को जीएसटी के अंतर्गत जारी किए जाने वाले बिक्री चालानों पर शब्दों को मुद्रित करने के लिए * ''रचना कर योग्य व्यक्ति, (Composition Taxable Persons) जो कि आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं है'' * आवश्यक है।

* CGST नियम संख्या 5 और 18 * में दिए गए अनुसार ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/132

आप सभी व्यापारी भाईयों की जानकारी हेतु संशोधित जीएसटी रिटर्न फाईलिंग तिथि के बारें में नीचे विवरण दिया गया है, कृपया ध्यान दें –

Revised GST Return Filing Date		
GST RETURN	JULY	
	Earlier	Now
GSTR-1	10th August	5th September
GSTR-2	15th August	10th September
GSTR-3	20th August	15th Septmeber
GSTR-3B	N/A	20th August
GST RETURN	AUGUST	
	Earlier	Now
GSTR-1	10th September	20th September
GSTR-2	15th September	25th September
GSTR-3	20th September	30th September
GSTR-3B	N/A	20th September
GST RETURN	SEPTEMBER	
	Earlier	Now
GSTR-1	10th October	10th October
GSTR-2	15th October	15th October
GSTR-3	20th October	20th October
GSTR-3B	N/A	N/A

WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/133

''कारोबारियों को छह माह के लिए राहत''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शुरूआती छह महीने तक कारोबारियों को राहत मिलती रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) की चेयरपर्सन वंजा सरना ने कहा कि राजस्व अधिकारी पहले छह महीने उद्यमियों के खिलाफ प्रवर्तन जैसी कड़ी कार्रवाइयों पर जोर नहीं देंगे। ताकि उद्योग इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुरूप स्थिर हो जाएं।

सरना ने कहा कि समझ की कमी के कारण शुरूआती दिनों में कुछ उचित त्रुटियां हो सकती हैं। सरना ने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, सीबीईसी प्रवर्तन निकाय है और मैंने विशेष रूप से कहा है कि तीन से छह महीने तक धीरे ही चलना होगा। मैं नहीं चाहती कि छोटे मामले भी बनें। लोगों को अनुपालन में समय लगेगा।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/134

''टीडीएस विवरणी के सन्दर्भ में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा टीडीएस के सन्दर्भ में दैनिक अखबारों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रकाशित की है, कृपया ध्यान दे –

फाइल करें

01. 30 जून, 2017 को समाप्त हुई तिमाही हेतु टी.डी.एस. विवरणी को 31 जुलाई, 2017 तक ई–फाइल करें।
02. टी.डी.एस. विवरणी को फाइल करने में विलम्ब की स्थिति में चूक क प्रत्येक दिन के लिए रू. 200/– का शुल्क वसूला जाएगा जो कर कटौती योग्य राशि से अधिक नहीं होगा।

डाउनलोड करें

01. फार्म 16A में 7 अंकों की टी.डी.एस. प्रमाणपत्र संख्या वाला टी.डी.एस. प्रमाणपत्र https://www.tdscpc.gov.in से डाउनलोड करना अनिवार्य है।
02. पैन नहीं लिखने पर/गलत लिखने पर टी.डी.एस. प्रमाणपत्र को ट्रेसेस पोर्टल से डाउनलोड नहीं किया जा सकता है।
03. फार्म 27Q में उल्लिखित बिना पैनवाले अनिवासियों के मामले में लेन–देन पर आधारित रिपोर्ट (TBR) डाउनलोड की जा सकती है।

जारी करें

01. फार्म 30 जून, 2017 को समाप्त हुई तिमाही हेतु वेतन के अतिरिक्त आय के टी.डी.एस. प्रमाणपत्र को फार्म 16A में 15 अगस्त 2017 तक जारी करें।
02. टी.डी.एस. प्रमाणपत्र को जारी करने में विलम्ब होने पर चूक के प्रत्येक दिन के लिए रू. 100 का जुर्माना देना होगा जो कटौती योग्य/संग्रह योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगा।

सावधान :

- जो कटौतीकर्ता कर कटौती कर चुके हैं लेकिन उसे निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किया है, वे तुरन्त जमा करें।
- सभी कटौतीकर्ता स्वयं को https://www.tdscpc.gov.in (ट्रेसेस पोर्टल) पर अवश्य पंजीकृत कराएं।
- डिडक्टी के पैन का सही उल्लेख करें, ताकि वे अपना उचित कर क्रेडिट प्राप्त कर सकें।
- कम भुगतान की चूक से बचने के लिए चालान कस सही सिन (CIN) लिखें।
- टीडीएस विवरणी में पैन या टैन न भरने पर शास्ति लगाई जा सकती है।
- प्रारंभिक जांच में पैन एवं चालान की त्रुटियों के बारे में सीपीसी–टीडीएस से प्राप्त ई–मेल/एसएमएस का उत्तर ई–मेल/एसएमएस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर देकर कटौतीकर्ता चूक करने से बच सकते हैं।
- ट्रेसेस सिस्टम से डाउनलोड किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र ही वैध प्रमाणपत्र है।
- पैन से संबंधित त्रुटियों से बचने के लिए ट्रेसेस पोर्टल पर उपलब्ध पैन–टैन मास्टर डाउनलोड करें।
- यदि इस तिमाही में आपका टीडीएस/टीसीएस से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो टीडीएस विवरणी दाखिल न करने के नोटिस से बचने के लिए “Declaration for non-filing” प्रणाली का प्रयोग करके इसकी सूचना ट्रेसेस पोर्टल पर दें।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव